रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2009/फाल्गुन 14, 1930
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2009/PHALGUNA 14, 1930

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2009

सा.का.नि. 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 4 में,—

(1) उप-पैरा (2क), के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2कक) ऐसा कोई कर्मचारी, जिसने कोयला खान कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के लिए विकल्प नहीं दिया है किन्तु भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत आता है, इस अधिसूचना की तारीख से तीन सौ छियासठ दिन की अवधि के भीतर इस स्कीम के उपबंधों के अधीन पेंशन के लिए विकल्प दे सकेगा और वह प्ररूप पीएस-1 में अपने विकल्प के प्रयोग की तारीख से इस स्कीम का सदस्य बन गया समझा जाएगा ।"

(2) उप-पैरा (4क), के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4कक) ऐसा कोई कर्मचारी भी, जो या 1 अप्रैल, 1994 को या उसके पश्चात् अपनी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तारीख को कोयला खान कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 का सदस्य था इस अधिसूचना की तारीख से तीन सौ छियासठ दिन की अवधि भीतर अपनी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की तारीख से इस स्कीम के उपबंधों के अधीन पेंशन के लिए भी विकल्प दे सकेगा । वह प्ररूप पीएस-2 में अपने विकल्प का प्रयोग करने की तारीख से स्कीम का सदस्य बन गया समझा जाएगा ।"

स्पष्टीकरण :—प्ररूप पीएस-1 और पीएस-2 के प्रस्तुत किए जाने के संबंध में समय बढ़ाने के लिए राजपत्रित अधिसूचना 9 जनवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी और प्रस्तुत करने की तारीख 8 अक्तूबर, 2002 को समाप्त हो गई थी तथा कुछ पात्र सदस्य नियत समय में पेंशन के लिए अपना विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए थे । अत:, वर्तमान संशोधन पेंशन स्कीम के अधीन उन्हें पात्र बनाने के लिए किया जाएगा ।

[सं. 20/30/98-पीआरआईडब्ल्यू-III]
राजीव शर्मा, अपर सचिव

पाद टिप्पण :—कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 सं. सा.का.नि. 123(अ), तारीख 5 मार्च, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित संख्याओं द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे, अर्थात् :—

1. सा.का.नि. 268(अ), तारीख 25 मार्च, 1998
2. सा.का.नि. 218(अ), तारीख 22 मार्च, 1998
3. सा.का.नि. 689(अ), तारीख 29 अगस्त, 2000
4. सा.का.नि. 256(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2001
5. सा.का.नि. 861(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2001
6. सा.का.नि. 16(अ), तारीख 9 जनवरी, 2002
7. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 8 जुलाई, 2002
8. सा.का.नि. 108(अ), तारीख 13 फरवरी, 2003 ।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2009

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3E of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Pension Scheme, 1998, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Pension (Amendment) Scheme, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(2) In the Coal Mines Pension Scheme, 1998, in Para 4,—

(1) after sub-paragraph (2A), the following shall be inserted, namely :—

"(2AA) An employee who has not opted for the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 but is covered by the Provident Fund Scheme, may be opt for pension under the provisions of this Scheme within a period of three hundred and sixty days from the date of this notification and he shall be deemed to have become the member of the Scheme from the date of his exercising the option in Form PS-1."

(2) After sub-paragraph (4A), the following shall be inserted, namely :—

"(4AA) An employee who was a member of the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 on the date of his superannuation or retirement on or after the first day of April, 1994 may also opt for the pension under the provisions of this Scheme from the date of his superannuation or retirement within a period of three hundred and sixty days from the date of this notification. He shall be deemed to have become the member of the Scheme from the date of his exercising the option in Form PS-2."

Explanation :—The Gazette Notification for extension of time in respect of submission of Form PS-1 and PS-2 was published on 9th January, 2002 and the submission date expired on 8th October, 2002 and some eligible members could not exercise their options for pension in the stipulated time. Therefore, the present amendment shall make them eligible under the Pension Scheme.

[No. 20/30/98-PRIW-III]

RAJIV SHARMA, Addl. Secy.

Foot Note :—The Coal Mines Pension Scheme, 1998 was published *vide* No. G.S.R. 123(E), dated the 5th March, 1998 and subsequently amended *vide* following numbers, namely :—

1. G.S.R. 268(E), dated, the 25th May, 1998
2. G.S.R. 218(E), dated, the 22nd March, 1998
3. G.S.R. 689(E), dated, the 29th August, 2000
4. G.S.R. 256(E), dated, the 12th April, 2001
5. G.S.R. 861(E), dated, the 23rd November, 2001
6. G.S.R. 16(E), dated, the 9th January, 2002
7. G.S.R. 482(E), dated, the 8th July, 2002
8. G.S.R. 108(E), dated, the 13th February, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.